

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./83/2024

1. कालू पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. शांतिलाल पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. सांवरलाल पुत्र देवकरण जाति जाट निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. सांवरा पुत्र हीरा जाति जाट निवासी बुबकिया तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थी



निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-21.06.2024

- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री शिवचरण चौधरी
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा बुबकिया पटवार क्षेत्र बुबकिया भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 16 में दर्ज खसरा नम्बर 1883/2625 रकबा 0.24 और खसरा नम्बर 1884 रकबा 0.74 कुल किता 02 कुल रकबा 0.98 हैक्ट0 जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम सवाईपुरा के खाता संख्या 16 संवत 2072-2075(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

14
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मन्त उपरान्त प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 नू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा बुबकिया पटवार क्षेत्र बुबकिया भूअनि क्षेत्र भिनाय के खाता सं० 16 में दर्ज खसरा नम्बर 1883/2825 रकबा 0.24 और खसरा नम्बर 1884 रकबा 0.74 कुल किता 02 कुल रकबा 0.98 हेक्ट० हेतु नायब तहसीलदार नागोला को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ोसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैंसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सारे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(गुरु प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय कंकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (कंकड़ी)